141/C09
04/07/12

336/MD
4-7-12

संख्या–888 / 78–2–2012–55आई.टी. / 2009

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त ज़िलाधिकारी, (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सुलतानपुर, रायबरेली, गोरखपुर एवं सीतापुर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊ : 03 ~~जून~~ जुलाई, 2012

विषयः भारत सरकार की स्टेट वाइड रोल आउट आफ ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ज़िला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (लोकवाणी सोसाइटी) को डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) के रूप में मान्यता देते हुये पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार की ''स्टेट वाइड रोल आउट ऑफ ई–डिस्ट्रिक्ट योजना'' की गाइडलाइन्स के आलोक में राज्य के प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) का गठन किया जाना प्रस्तावित है जो जनपदों में ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत क्रियान्वित होने वाली समस्त योजनाओं के अनुश्रवण का कार्य करेंगी। पूर्व में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की ओर से जनपदों को पृथक–पृथक समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे परन्तु जनपदों के स्तर से इस सम्बन्ध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो सकी जिसके कारण योजनान्तर्गत यथाअपेक्षित कार्यवाहियां नहीं की जा पा रही हैं।

2. जनपदों में पूर्व से ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, ज़िला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (लोकवाणी सोसाइटी) का सोसाइटी नियमों के अन्तर्गत पुनर्गठन करते हुये इसमें भारत सरकार की गाईडलाइन्स के अनुसार तीन सदस्य यथा ज़िला शिक्षा अधिकारी, ज़िला मुख्य चिकित्साधिकारी तथा ज़िला पंचायत राज अधिकारी, जो वर्तमान में ज़िला लोकवाणी सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, को सम्मिलित कर लिया जाये। इसके अतिरिक्त जिन जनपदों में नगर निगम हैं, वहॉ के नगर आयुक्त तथा जिनमें नगर पालिका परिषद हैं, वहॉ के मुख्यालय अधिशासी अधिकारी को भी ज़िला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (लोकवाणी सोसाइटी) में सम्मिलित किया जाये।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद में उपरोक्तानुसार ज़िला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (लोकवाणी सोसाइटी) का पुनर्गठन कराते हुये ई–डिस्ट्रिक्ट रोल–आउट योजना के लिये सोसाइटी का नया बैंक खाता खुलवाकर खाते से सम्बन्धित विवरण संलग्न प्रारूप में शीर्ष प्राथमिकता पर आई.टी. एव इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन एवं राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई–गवर्नेन्स, द्वितीय तल, अपट्रान बिल्डिंग, (निकट गोमती बैराज), गोमती नगर, लखनऊ– 226010 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

प्रभारी ई-गवर्नेन्स

4/7/2012

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीडेस्को

क्रमशः 2

संख्याः 888(1)/78—2—2012 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई—गवर्नेन्स, लखनऊ।
2. उप महानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभु शंकर)
उप सचिव

संलग्नक—1

जिला ई—गवर्नेन्स सोसाइटी (लोकवाणी सोसाइटी)

ई—डिस्ट्रिक्ट रोल—आउट योजना के बैंक एकाउन्ट विवरण हेतु प्रारूप

क्रम सं.	मद	विवरण
1.	बैंक का नाम एवं पता	
2.	एकाउन्ट नम्बर	
3.	एकाउन्ट होल्डर का नाम	
4.	आर.टी.जी.एस. कोड	
5.	माइकर कोड	